

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा मानदंड और
सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

(30 जून 2007 तक अद्यतन)

(यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब साइट www.rbi.org.in पर भी
उपलब्ध है जिसे वहां से डाउनलोड किया जा सकता है।)



भारतीय रिज़र्व बैंक
शहरी बैंक विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

विषय - वस्तु

1.	सामान्य	1
2.	ऋण सीमा संबंधी मानदंड	1
2.1	व्यक्तियों / सामूहिक उधारकर्ताओं के लिए ऋण की उच्चतम सीमा	1
2.2	परिभाषाएं	2
2.3	स्थावर संपदा क्षेत्र के लिए अग्रिम	5
3.	गैर जमानती अग्रिमों की उच्चतम ऋण सीमा	6
3.1	एकल पार्टी / संबंध ग्रुप के लिए उच्चतम सीमा	6
3.3	गैर जमानती अग्रिमों पर सकल उच्चतम सीमा	7
4.	सांविधिक प्रतिबंध	7
4.1	बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम	7
4.2	ऋण कम करने की शक्तियों पर प्रतिबंध	7
5.	विनियामक प्रतिबंध	7
5.1	निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम मंजूर करना	7
5.2	नाममात्र सदस्यों को अग्रिम देने की अधिकतम सीमा	8
5.3	अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम	8
5.4	पूरक (ब्रिज) ऋण / अंतरिम वित्त	8
5.5	शेयरों, डिबेंचरों और बाँड़ों की जमानत पर ऋण और अग्रिम	8
5.6	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को बैंक वित्त	9
5.7	कृषि कार्यकलापों के लिए वित्त पोषण	11
5.8	सांविधिक देय राशियों के चूककर्ताओं को अग्रिम देने पर प्रतिबंध	12
	अनुबंध 1	13
	अनुबंध 2	16
	अनुबंध 3	17
	अनुबंध 4	18
	परिशिष्ट	19

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा संबंधी मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

1. सामान्य

1.1 बेहतर जोखिम प्रबंधन के एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में और ऋण जोखिम की ओर केन्द्रित ध्यान को हटाने के उद्देश्य से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को -

- वैयक्तिक उधारकर्ताओं और ग्रुप उधारकर्ताओं
- विशिष्ट क्षेत्रों
- गैर जमानती अग्रिमों और गैर जमानती गारंटियों

के लिए अपनी ऋण सीमाओं को निर्धारित करने के लिए सूचित किया गया है ।

1.2 इसके अलावा, इन बैंकों के लिए निम्नलिखित के बारे में कठिपय सांविधिक और विनियामक प्रतिबंधों का पालन करना आवश्यक है ।

- (i) शेयरों, डिबेंचरों और बाँड़ों की जमानत पर अग्रिम
- (ii) शेयरों, डिबेंचरों और बाँड़ों में निवेश

1.3 इन सभी पहलुओं पर वर्तमान में प्रचलित अनुदेश निम्नलिखित परिच्छेदों में दिए गए हैं ।

2. ऋण सीमा संबंधी मानदंड

2.1 व्यक्ति/ग्रुप उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान करने की उच्चतम ऋण सीमा

2.1.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए, अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से **बैंक की पूंजीगत निधियों** के संबंध में ऋण सीमा की एक उच्चतम सीमा तय करना आवश्यक होगा। इस प्रयोजन के लिए ऋण सीमा में पैरा 2.2.2(ख) में दिए गए विवरण के अनुसार ऋण सीमा (ऋण तथा अग्रिम) और निवेश ऋण सीमा दोनों निहित हैं ताकि -

- (i) किसी **वैयक्तिक** उधारकर्ता की ऋण सीमा पूंजीगत निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो और
- (ii) किसी उधारकर्ताओं के **समूह** की ऋण सीमा पूंजीगत निधियों के 40 प्रतिशत से अधिक न हो ।

2.1.2 ऋण की उच्चतम सीमा निर्धारित करने का कार्य प्रतिवर्ष बैंक के तुलनपत्र को अंतिम रूप देने और उसकी लेखापरीक्षा हो जाने के बाद किया जाना चाहिए और उसकी सूचना ऋण मंजूर करनेवाले अधिकारियों तथा बैंक के निवेश विभाग को दी जानी चाहिए ।

शेअरधारिता को ऋण से जोड़ दिए जाने के कारण तुलनपत्र की तारीख के बाद शेअरपूँजी में हुई वृद्धि अथवा कमी को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से अर्ध वार्षिक आधारपर ऋण की उच्चतम सीमा के निर्धारण के लिए स्थिति के अनुसार उपलब्ध शेयर पूँजी की राशि को हिसाब में लेते हुए नई ऋण सीमा निर्धारित कर सकते हैं । तथापि, शेयर पूँजी में हुई वृद्धि को छोड़कर पूँजीगत निधियों, जैसे कि अर्धवार्षिक लाभ आदि, में हुई वृद्धि ऋण सीमा के निर्धारण के लिए हिसाब में लेने की पात्र नहीं होगी । बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि वे भविष्य में पूँजी में और वृद्धि होने की प्रत्याशा को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई सीमा से अधिक जोखिम नहीं उठाते हैं ।

2.2 परिभाषाएं

2.2.1 पूँजीगत निधियां

ऋण सीमा मानदंड के प्रयोजन के लिए "पूँजीगत निधियों" में टियर I तथा टियर II दोनों ही पूँजी निहित होगी जैसाकि संलग्न अनुबंध 1 में परिभाषित किया गया है।

2.2.2 ऋण सीमा के अंतर्गत जण सीमा (ऋण तथा अग्रिम) और निवेश ऋण सीमा दोनों ही शामिल होंगे जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

(क) ऋण सीमा :

- (i) ऋण सीमा में
- (क) **निधिक और गैर - निधिक** ऋण सीमाएं और हामीदारी और उसी प्रकार की प्रतिबद्धता,
- (ख) उपकरण पट्टेदारी एवं किराया खरीद वित्तपोषण के जरिए दी गई सुविधाएं,
- (ग) आकस्मिक खर्चोंको पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं को मंजूर की गई तदर्थ सीमाएं शामिल होंगी ।
- (ii) ऋण सीमा में बैंक की अपनी मीयादी जमाराशियों की जमातन पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल नहीं होंगे ।
- (iii) ऋण जोखिम की सीमा का पता लगाने के लिए मंजूर की गई सीमा या बकाया राशि, जो भी अधिक हो, हिसाब में ली जाएगी। इसके अतिरिक्त पूरी तरह आहरित मीयादी ऋणों के मामले में, जहां मंजूर की गई सीमा के किसी हिस्से के पुनः-आहरण की गुंजाइश न हो, बैंक ऋण जोखिम की सीमा का पता लगाने के लिए बकाया राशि की गणना करें।
- (iv) गैर निधिक सीमा के संबंध में, ऐसी सीमा या बकाया का 50; जो भी अधिक हो, को इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।
- (v) संघीय/बहुविध बैंकिंग/समूहन
प्रत्येक बैंक के शेयर का स्तर एकल उधारकर्ता/समूह की ऋण सीमा (एक्सपोजर) द्वारा नियंत्रित होगा ।

(ख) निवेश ऋण सीमा

- (i) बैंक केवल निम्नलिखित गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं:
- (क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बॉण्ड,
 - (ख) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड/इक्विटी,
 - (ग) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड,
 - (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती भुगतानयोग्य बॉण्ड,
 - (ड.) यूटीआई की यूनिटें तथा
 - (च) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं आरबीआई द्वारा अनुमोदित अन्य वित्तीय संस्थान।
- (ii) उक्त (क) से (च) तक में कुल निवेश गत वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल जमाराशियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए जिसमें (ड.) के तहत किए गए निवेश के लिए गत वर्ष की वृद्धिशील जमाराशि के 5 प्रतिशत की उच्चतम उप-सीमा शामिल है।
- (iii) इसके अतिरिक्त बैंक यह सुनिश्चित करें कि ऋण प्रतिभूतियों के एकल जारीकर्ता के लिए ऋण सीमा बैंक की पूंजीगत निधि के आधार पर अग्रिमों हेतु आरबीआई द्वारा निर्धारित वैयक्तिक ऋण सीमा के भीतर होगी।

2.2.3 ग्रुप

समूह (ग्रुप) की परिभाषा के बारे में निर्णय को बैंक की धारणा पर छोड़ दिया गया है जिन्हें साधारणतः अपने ग्राहक वर्ग के मूल गठन की जानकारी होती है। कोई उधारकर्ता इकाई विशेष किस समूह से है, इसका निश्चय उनके पास उपलब्ध संबंधित जानकारी के आधार पर किया जा सकता है। इस बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत है प्रबंधन और कारगर नियंत्रण में सामंजस्य होना।

- 2.2.4 कुल मीयादी एवं मांग देयताओं का वही अर्थ होगा जैसा कि बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 में इस संशोधन के अधीन यथा - परिभाषित कि बैंक की चुकता पूंजी और रिजर्व का 75% उसकी मीयादी और मांग देयताओं में जोड़ा जाएगा।
- 2.2.5 प्राथमिक सहकारी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित भारतीय रेल, इंडियन एअरलाइंस निगम, या सड़क और जलमार्ग परिवहन परिचालकों की आधिकारिक रसीदों के बिना प्राप्त सभी विनियम हुंडिया निर्बाध हुंडिया मानी जाएंगी।
- 2.2.6 एक या एक ही तरह के अधिक साझेदारों के साथ एक ही प्रकार के कारबार जैसे कि वस्तु-निर्माण, प्रक्रिया, व्यापार आदि में लगी विभिन्न फर्मों को सम्बद्ध समूह एवं एक ही स्वामित्व के अंतर्गत आनेवाली इकाइयों को एकल पार्टी माना जाएगा।
- 2.2.7 गैर जमानती अग्रिमों में निर्बाध ओवरड्राफ्ट, वैयक्तिक जमानत पर ऋण, खरीदी या भुनाई गई निर्बाध हुंडियां या पारस्पारिक हुंडियां, वसूली के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर खरीदे गए चेक या अनुमत आहरण शामिल होंगे जब कि;

- (i) केन्द्र या राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा समर्थित अग्रिम;
- (ii) केन्द्र या राज्य सरकारों, या राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों पर आहरित आपूर्ति हुंडियां जिनके साथ प्राधिकृत निरीक्षण नोट या रसीदीकृत चलन हों, की जमानत पर दिए गए अग्रिम;
- (iii) न्यासी रसीदों की जमानत पर दिए गए अग्रिम
- (iv) साख पत्र के अंतर्गत आहरित अंतर्देशीय डी/ए हुंडियों की जमानत पर अग्रिम
- (v) अंतर्देशीय डी/ए हुंडियां (ऐसी हुंडिया भले ही साख - पत्र के अंतर्गत आहरित न की गई हों) जिनकी मीयाद 90 दिनों से अधिक न हो की जमानत पर दिए गए अग्रिम;
- (vi) वेतनभोगी कर्मचारियों को उनकी वैयक्तिक जमानत पर दिए गए अग्रिम, बशर्ते संबंधित राज्य के सहकारी सोसायटी अधिनियम में बैंक के दावों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन में से ऋण की किस्त की कटौती करने का बाध्यकारी प्रावधान हो और यह भी कि बैंक ने ऐसे प्रत्येक अग्रिम के संबंध में इस प्रावधान का लाभ उठाया हो ।
- (vii) निजी प्रतिष्ठित पक्षकारों पर आहरित आपूर्ति हुंडियों और प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों और संस्थाओं के रसीदीकृत चालनों जो 90 दिनों से अधिक बकाया न हों, की जमानत पर दिए गए अग्रिम;
- (viii) उन बही ऋणों की जमानत पर अग्रिम जो 90 दिनों से अधिक बकाया न हों;
- (ix) सरकारों, सार्वजनिक निगमों और स्थायी स्व-संचालित संस्थाओं द्वारा जारी चेक;
- (x) निर्यात के लिए पैकिंग ऋण के रूप में अग्रिम
- (xi) खरीदे गये मांग ड्राफ्ट
- (xii) अंशतः जमानती अग्रिमों का जमानती अंश और
- (xiii) देय या देय होनेवाली संवीदा राशि के कानूनी समनुदेशन की जमानत पर अग्रिम शामिल नहीं होंगे ।

2.2.8 वह **संस्था** जिसमें किसी प्राथमिक सहकारी बैंक के निदेशक या उसके रिश्तेदार का हित निहित है, का तात्पर्य

- (i) मालिकाना हकवाली संस्थाएं/साझेदारी फर्म (हिन्दू अविभक्त परिवार की संस्था और व्यक्तियों के संघ सहित) जिनमें बैंक के किसी निदेशक या उसके रिश्तेदार का मालिक/ साझेदार/समांशी के रूप में हित निहित हो ।
- (ii) वे निजी/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां जहां बैंक का कोई निदेशक कंपनी को दिए गए ऋण और अग्रिम की चुकौती के लिए गारंटर रहा हो ।

2.2.9 निदेशक का "**रिश्तेदार**" से तात्पर्य नीचे बताए गए अनुसार निदेशक के किसी भी रिश्तेदार से है;

कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का रिश्तेदार तभी और केवल तभी माना जाएगा, यदि;

- (क) वे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं; या
 - (ख) वे पति - पत्नी हैं; या
 - (ग) एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नीचे बताए गए अनुसार संबंधित है;
1. पिता
 2. माता (सौतेली माँ सहित)
 3. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
 4. पुत्र की पत्नी

5. पुत्री (सौतेली पुत्री सहित)
6. पुत्री का पति
7. भाई (सौतेले भाई सहित)
8. भाई की पत्नी
9. बहन (सौतेली बहन सहित)
10. बहन का पति

2.2.10 कोई भी अन्य वित्तीय सहायता में निधिक और गैर-निधिक ऋण सीमाएं और हामीदारियां एवं उसी प्रकार की निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं शामिल हैं ।

- (i) निधि आधारित सीमाओं में ऋण और अग्रिमों के रूप में खरीदे/भुनाए गए बिल, पोतलदानपूर्व और पोतलदानोन्तर ऋण सुविधाएं और उधारकर्ताओं को स्वीकृत पूंजीगत उपकरणों की खरीद एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वीकृत पूंजीगत उपकरणों की खरीद एवं किसी अन्य प्रयोजन के लिए स्वीकृत सीमाओं सहित आस्थगित भुगतान गारंटी सीमा और ऐसी गारंटियां शामिल होंगी जनके जारी करने पर कोई बैंक अपने ग्राहकों को पूंजीगत आस्तियां प्राप्त करने के लिए दायित्व स्वीकार करता है ।
- (ii) गैर-निधि आधारित सीमाओं में साख-पत्र, गारंटियां और हामीदारियां एवं उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी ।

2.2.11 इस तथ्य के मद्देनजर कि वेतन भोगी बैंक किसी संस्था विशेष/संस्थाओं के समूह के वेतनधारी कर्मचारियों को अग्रिम प्रदान करते हैं जिसके लिए उनकी सदस्यता सीमित होती है और अग्रिम की वसूली नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से कटौती करके की जाती है । वेतनभोगी बैंक निर्धारित सीमा से अधिक ऐसे अग्रिम मंजूर कर सकते हैं बशर्ते वे निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हों ।

- (i) संबंधित राज्य सरकार के सहकारी सोसायटी अधिनियम में बैंक के दावों को पूरा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन से ऋण की आवधिक किस्त की कटौती करने का बाध्यकारी उपबंध किया गया हो ।
- (ii) बैंक ने ऐसे प्रत्येक अग्रिम के लिए इस उपबंध का लाभ उठाया हो ।
- (iii) बैंक ने कर्मचारी की मासिक आय को ध्यान में रखते हुए पै-पैकेट के गुणजों में ऐसे अग्रिमों के लिए एक सामान्य सीमा निर्धारित कर दी हो ।

2.2.12 वेतन भोगी सोसायटियों को छोड़कर, प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा वेतनधारी उधारकर्ताओं को दिए गए ऐसे अग्रिमों को जहां राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अग्रिम की चुकौती उधारकर्ताओं के वेतन से कटौती करे सुनिश्चित की जाती है, सारे सदस्यों को मिलाकर दिए गए कुल गैर-जमानती अग्रिमों के अभिकलन के प्रयोजन के लिए जमानती अग्रिम के लिए हिसाब में लिया जाएगा । प्रत्येक वेतनधारी उधारकर्ताओं को अग्रिम प्रदान करते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि ये अग्रिम गैर-जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा से, जैसा कि पैरा 3.1 (क) में बताया गया है, अधिक नहीं होने चाहिए ।

2.3 स्थावर संपदा क्षेत्र की ऋणसीमा

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक ऋण निर्माण गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है न कि स्थावर संपदा की सट्टेबाजी के लिए, रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए स्थावर संपदा ऋण की उच्चतम सीमा के संबंध में व्यापक विवेकपूर्ण मानदंड तैयार करें बशर्ते:

- 2.3.1 प्राथमिक सहकारी बैंक आवास ऋण तथा अन्य ब्लॉक पूँजी ऋण देने के लिए अपने कुल जमा संसाधनों के 15 प्रतिशत का उपयोग कर सकते हैं।
- 2.3.2 तथापि, उक्त सीमा को उच्च वित्तीय एजेंसियों एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनर्वित्त से प्राप्त निधियों की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

. गैर जमानती अग्रिमों की उच्चतम सीमा (जमानत सहित और बिना जमानत के)

3.1 एकल पार्टी/सम्बद्ध समूह के लिए उच्चतम सीमा

(क) एकल पार्टी/सम्बद्ध उधारकर्ता समूह के लिए गैर-जमानती अग्रिमों (**जमानती**) की अधिकतम सीमा निम्नानुसार होगी :

अग्रिम की श्रेणी	गैर अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी मांग और मीयाद देयताएं		अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
ग्रेड I के रूप में वर्गीकृत	10 करोड़ रुपये से कम	10 करोड़ रुपये से अधिक	
खरीदे गए/भुनाए गए निबंध बिलों/मुलतानी हुंडियों सहित सभी प्रकार के गैर जमानती अग्रिम तथा वसूली के लिए भेजे गए चेकों पर आहरण की अनुमति	रु. 50,000/-	रु. 1,00,000/-	रु. 2,00,000/-
ग्रेड II, III और IV के रूप में वर्गीकृत	रु. 25,000/-	रु. 50,000/-	रु. 50,000/-

(ख) शहरी सहकारी बैंक आकस्मिक मामलों में 30 दिनों की अस्थाई समयावधि के लिए तीसरे पक्षकार को खरीद/भुनाई/आहरण के संबंध में निम्नलिखित सीमाओं तक बिना जमानत के गैर-जमानती अग्रिम मंजूर कर सकते हैं:

बैंकों की श्रेणी	ग्रेड	सीमा	ग्रेड	सीमा
अनुसूचित	ग्रेड-III एवं IV के बैंक	₹. 25,000/-	ग्रेड-III एवं IV से इतर बैंक	₹. 50,000/-
गैर-अनुसूचित	उपर्युक्त	₹. 10,000/-	उपर्युक्त	₹. 20,000/-

3.2 गैर - जमानती अग्रिमों की सकल उच्चतम सीमा

किसी बैंक द्वारा अपने सदस्यों को मंजूर सकल गैर-जमानती अग्रिम (जमानत सहित या जमानत रहित) की राशि उसकी कुल मीयादी व मांग देयताओं के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए जबकि पहले इसकी सीमा 33.33% थी। तथापि, बैंक क्रमिक रूप से 31 मार्च 2006 तक मीयादी व मांग देयताओं के 20% एवं उससे आगे 31 मार्च 2007 तक मीयादी व मांग देयताओं के 15% तक कर सकते हैं।

कोई भी बैंक किसी ऐसे उधारकर्ता को जो किसी दूसरे बैंक से पहले से ही ऋण सुविधाएं ले रहा है, वित्तपोषित बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना वित्त प्रदान नहीं करेगा और जहां उधारकर्ता द्वारा ती गई ऋण सुविधा दिशा-निर्देश में एकल पार्टी के लिए निर्धारित की गई सीमा से अधिक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा ।

4. सांविधिक प्रतिबंध

4.1 बैंक के अपने शेयरों की जमानत पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 20 (1)(क) के अनुसार कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक अपने ही शेयरों की जमानत पर अग्रिम नहीं दे सकता है ।

4.2 ऋण कम करने की शक्तियों पर प्रतिबंध

4.2.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथा लागू की धारा 20 - क (1) यह निर्धारित करती है कि कोई भी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति लिए बिना निम्नलिखित द्वारा उसे देय किसी भी ऋण की सारी राशि या आंशिक राशि को कम नहीं करेगा;

- (i) उसके किसी भूतपूर्व या वर्तमान निदेशक, या
- (ii) कोई फर्म या कंपनी जिसमें उसके किसी भी निदेशक का निदेशक, साझेदार, प्रबंधकीय एजेंट या गारंटर के रूप में हित निहित हो, या
- (iii) किसी व्यक्ति को, यदि उसका कोई निदेशक उस व्यक्ति का साझेदार या गारंटर हो

4.2.2 उक्त अधिनियम की धारा 20 - क (2) के अनुसार ऊपर बताई गई उप धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में की गई कोई भी कमी अमान्य और अप्रभावी होगी ।

5. विनियामक प्रतिबंध

5.1 निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना

5.1.1 01 अक्टूबर 2003 से प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को अपने निदेशकों या उनके रिश्तेदारों और उन फर्मों/कंपनियों/ संस्थाओं को जिनमें उनका हित निहित है, जमानती या गैर जमानती ऋण और अग्रिम या कोई भी वित्तीय सहायता देने से मना किया गया है । मौजूदा अग्रिमों को उनकी देय तारीख तक जारी रखने की अनुमति दी गई है । अग्रिमों को न तो आगे नवीकृत किया जाएगा और न ही आगे और दिया जाएगा ।

5.1.2 निदेशकों से संबंधित ऋणों की निम्नलिखित श्रेणियों को उपर्युक्त अनुदेशों के दायरे से मुक्त रखा गया है ।

- (i) शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडलों के स्टाफ निदेशकों को कर्मचारी संबंधी नियमित ऋण;
- (ii) वेतनभोगी सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल के निदेशकों को सदस्यों पर लागू सामान्य ऋण तथा
- (iii) बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को कर्मचारी संबंधी सामान्य ऋण ।
- (iv) शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को उनके नाम की सावधि जमा और जीवन बीमा पालिसियों पर ऋण लेने की अनुमति दी गयी है ।

5.1.3 बैंकों के लिए अपने निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दिए गए ऋण और अग्रिमों की सूचना प्रत्येक तिमाही की समाप्ति (अर्थात् 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर) पर अनुबंध 2 और 3 में दिए प्रोफार्मा में संबंधित तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अंदर इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को देना आवश्यक है ।

5.1.4 किसी बैंक के निदेशक मंडल को बर्खास्त कर देने की स्थिति में संबंधित बैंक को चाहिए कि वह विशेष अधिकारी/प्रशासक तथा उनके रिश्तेदारों द्वारा लिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करे ।

5.2 नाममात्र सदस्यों को अग्रिम की अधिकतम सीमा

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक नाममात्र सदस्यों को निम्नलिखित उच्चतम सीमा के अधीन उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए अल्प/अस्थायी अवधि के लिए ऋण मंजूर कर सकते हैं:

	बैंक	ऋण की उच्चतम सीमा
(i)	50 करोड़ रुपये तक की जमा राशिवाले बैंक	प्रति उधारकर्ता 50,000/- रुपये
(ii)	50 करोड़ रुपये से अधिक की जमाराशिवाले बैंक	प्रति उधारकर्ता 1,00,000/- रुपये

- 5.3 अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधी जमा रसीदों (एफडीआर) की जमानत पर अग्रिम बैंकों को अन्य बैंकों की एफडीआर/मीयादी जमा राशियों की जमानत पर अग्रिम मंजूर नहीं करने चाहिए ।
- 5.4 **पूरक (ब्रीज) ऋण/अंतरिम वित्तपोषण**
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को पूंजी/डिबेंचरों के निर्गमी की जमानत पर दिए जानेवाले ऋणों सहित पूरक ऋण/अंतरिम वित्त पोषण और/या ब्रीजिंग स्वरूप के ऋणों के रूप में उन प्रस्तावों को स्वीकार करने से मना कर दिया गया है जहां बाजार से सभी प्रकार की गैर बैंकिंग कंपनियों अर्थात् उपकरन लीजिंग, किराया खरीद, ऋण, निवेश और अवशेषी गैर बैंकिंग कंपनियों से पूंजी/जमा राशियों के रूप में दीघाविधि निधियां जुटाई जानी हैं ।
- 5.5 **शेयरों, डिबेंचरों और बाँड़ों की जमानत पर ऋण और अग्रिम**
- 5.5.1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को **स्टॉक ब्रोकरों** को किसी भी प्रकार की सुविधाएं देने की अनुमति नहीं है ।
- 5.5.2 यदि प्रतिभूति भौतिक रूप में हो तो शेयरों डिबेंचरों की प्राथमिक/संपर्शिक जमानत पर ऋण की सीमा 5 लाख रुपये तथा यदि प्रतिभूति डिमैट रूप में हो तो ऋण की राशि 10 लाख रुपये तक सीमित होगी ।
- 5.5.3 5 जनवरी 2004 से इस प्रकार के सभी अग्रिमों पर 50% का मार्जिन बनाए रखा जाना चाहिए।
- 5.5.4 शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर दिए गए सभी ऋणों की कुल राशि बैंक की स्वाधिकृत निधियों के 20 प्रतिशत की सकल उच्चतम सीमा के अंदर होनी चाहिए ।
- 5.5.5 यदि बैंक ने स्टॉक ब्रोकर को ऋण दिया हो तो यह बात क्षेत्रीय कार्यालय के ध्यान में लाई जाए । संबंधित बैंक को चाहिए कि वह ऐसे अग्रिम की राशि वापस लेने के लिए तत्काल उपाय करे और संबंधित गतिविधियों से हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्ण अवगत करवाता रहे ।
- 5.5.6 बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रत्येक उधारकर्ता व्यक्ति और अन्य संस्थाओं को शेयरों की जमानत पर दिए गए ऋणों की बकाया राशि तिमाही आधारपर अनुबंध 4 में दिए गए फार्मेट में रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करें
- 5.5.7 यह आवश्यक है कि शेयरों को जमानत के रूप में स्वीकारने से पहले बैंकों को एक यथोचित जोखिम प्रबंध प्रणाली आरंभ करनी चाहिए। सभी अनुमोदित ऋण प्रस्तावों को दो माह में कम से कम एक बार बैंक की लेखा परीक्षा के समक्ष रखना चाहिए। प्रबंध और लेखा परीक्षा समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेयरों की जमानत पर सारे ऋण केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो स्टॉक दलाली संस्था से किसी भी तरह से जुड़े नहीं हैं। मंजूर किए गए ऋणों के ब्योरे बोर्ड की आगामी बैठक में सूचित किए जाने चाहिए ।

5.6 गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) को बैंक वित्त

5.6.1 सदस्य के रूप में एनबीएफसी को प्रवेश देना

- (i) प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक से अग्रिम लेने के लिए उसका सदस्य होना आवश्यक है। तथापि, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से **यह अपेक्षित नहीं है** कि वे बैंक के कारोबार के साथ स्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता करनेवाली निवेश और वित्तीय कंपनियों जैसी गैर वित्तीय कंपनियों और व्यक्तियों को **अपना सदस्य बनाएं** क्योंकि यह संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम का उल्लंघन होने के साथ-साथ आदर्श उप-विधि नं. 9 के उपबंधों के अनुरूप भी नहीं होगा। अतः बैंकों को किराया खरीद/लीजिंग में कारोबार करनेवाली उन बीएफसी को छोड़कर अन्य एनबीएफसी को **वित्तपोषण प्रदान नहीं करना चाहिए**।
- (ii) उसी प्रकार उन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सदस्य के रूप में प्रवेश देना जो लीजिंग/किराया खरीद के कारोबार से **पूरी तरह से नहीं जुड़ी हैं**; संबंधित राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम और आदर्श उपविधि सं. 9 के विरुद्ध होगा। इसलिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे ऐसी लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों को सदस्य बनाने से पहले संबंधित निबंधक, सहकारी सोसायटियां का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लें।

5.6.2 किराया खरीद/लीजिंग कार्यकलापों में कार्यरत एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए पात्र कार्यकलाप

ऋण सीमा संबंधी निर्धारित मानदंडों एवं ऊपर बताए गए प्रतिबंधों के भीतर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी सकल पूंजीगत निधियां 25 करोड़ रुपये और अधिक हैं, उपकरण लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं;

	एनबीएफसी का प्रकार	बैंक वित्त की अधिकतम सीमा
(i)	वे उपकरण लीजिंग/किराया खरीद कंपनियां जिनकी उपकरण लीजिंग/किराया खरीद में आस्तियां 75% से कम नहीं हैं और कंपनी के पिछले लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार उनकी सकल आय में 75% आय उक्त दो कार्यकलापों से होती हो	एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों का 3 गुना
(ii)	अन्य उपकरण लीजिंग व किराया खरीद कंपनियां	एनबीएफसी की निवल स्वाधिकृत निधियों का 2 गुना

नोट :

- (i) बैंक वित्त की अधिकतम सीमा एमबीएफसी द्वारा उधारलेने की सकल उच्चतम सीमा के भीतर उनकी स्वाधिकृत निधियों का 10 गुना तक होनी चाहिए ।
- (ii) लीजिंग संस्था को बैंक वित्त "पूर्ण प्रदत्त" लीज तक सीमित होना चाहिए अर्थात् वे लीज जहां आस्ति का लागत मूल्य प्राथमिक लीज अवधि में ही वसूल कर लिया गया हो और आगे इसमें केवल नए उपकरण की खरीद शामिल होनी चाहिए ।
- (iii) विवेकपूर्ण नीति के अनुसार अगले पांच वर्षों तक देय लीज किराया को ही ऋण देने के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए ।

5.6.3 किराया खरीद/लीजिंग कार्यकलापों में जुड़ी उनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के संबंध में अपात्र कार्यकलाप

- (i) किराया खरीद/लीजिंग कार्यकलापों में तभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे निम्नलिखितकार्यकलाप बैंक ऋण के लिए पात्र नहीं हैं। इसलिए इन मदों को, सभी श्रेणी की एनबीएफसी के लिए स्वीकार्य बैंक वित्त का परिकलन करते समय चालू आस्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।
- (क) एनबीएफसी द्वारा भुनाए/पुनर्भुनाए गए बिल, विशिष्ट रूप से अनुमत बिलों को छोड़कर
- (ख) चालू स्वरूप के शेयरों/डिबेंचरों आदि अर्थात् स्टॉक-इन ट्रेड में किया गया निवेश
- (ग) अनुषंगी कंपनियों, सामूहिक कंपनियों या अन्य संस्थाओं में निवेश/को अग्रिम
- (घ) अन्य कंपनियों में निवेश और आंतर कंपनी ऋण/जमा राशियां
- (ii) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित मदों के संबंध में बैंकों को अनुमानित निवल कार्यशील पूँजी में कोई समायोजन नहीं करना चाहिए । यह भी सूचित किया जाता है कि अनुमानित निवल कार्यशील पूँजी चालू परिचालनों के समर्थन में उपलब्ध दीर्घावधि अधिशेष दर्शाती हैं, इसलिए स्वीकार्य बैंक वित्त के अधिकतम स्तर को घटाते समय चालू आस्तियों के स्तर में परिवर्तन/काट-छाँट करने के फलस्वरूप समयोजित नहीं किया जाना चाहिए ।

5.6.4 अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करना

- (i) **अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक हल्के वाणिज्यिक वाहनों, दुपहिया वाहनों, तिपाहिया वाहनों सहित वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री से उत्पन्न एवं एनबीएफसी द्वारा भुनाए गए बिलों की ऋण देने के सामान्य सुरक्षा उपायों के अधीन एवं निम्नलिखित शर्तों पर पुनर्भुनाई कर सकते हैं :**
- (क) बिल निर्माताओं द्वारा डीलरों पर आहरित किए गए हों,
(ख) बिल वास्तविक बिक्री लेनदेनों से संबंधित हों जिनकी वास्तविकता का पता चेसिस/इंजिन नंबरों से लगाया जा सकता हो ।
(ग) बिलों की पुनर्भुनाई से पहले अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को बिलों की भुनाई करनेवाली एनबीएफसी की वास्तविकता और पिछले रेकार्ड से आश्वस्त हो लेना चाहिए ।
- (ii) **अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक ट्रक खरीदने के लिए छोटे सड़क और जलमार्ग परिवहन परिचालकों को उधार देने के लिए बैंक वित्त पाने की पात्र एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं और ऐसे अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं बशर्ते अंतिम उधारकर्ता (छो.स.ज.प.प) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने के लिए आवश्यक पात्रता पूरी करते हों ।**
- (iii) कृषि के लिए आगे उधार देने के लिए **अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक** एनबीएफसी को और अन्य वित्तीय मध्यस्थियों को वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं और उसे कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्तपोषण के रूप में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के प्रयोजन के लिए हिसाब में ले सकते हैं ।
- (iv) अतिलघु क्षेत्र में खाद्य और कृषि प्रक्रिया उद्योग को आगे ऋण देने के लिए अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक एनबीएफसी और अन्य वित्तीय मध्यस्थियों को वित्तपोषण प्रदान कर सकते हैं और ऐसे वित्तपोषण को इस बात से आश्वस्त हो लेने पर कि अंतिम उधारकर्ता के स्तर पर संबंधित मानदंडों का पालन किया गया है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत कर सकते हैं।

5.7 कृषि कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण

- 5.7.1 प्राथमिकताप्राप्त (शहरी) सहकारी बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्यकलापों को वित्तपोषण प्रदान करने की अनुमति दी गई है ।
- (i) बैंक केवल सदस्योंको (नाममात्र सदस्यों को नहीं) प्रत्यक्ष वित्त पोषण प्रदान करेंगे लेकिन प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी और प्राथमिक भूमि विकास बैंक आदि जैसे एजेंसियों के मार्फत प्रदान नहीं करेंगे ।
- (ii) उस क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा क्रेडिट एजेंसियों से "कोई राशि देय नहीं प्रमाणपत्र" प्राप्त करने के बाद ही ऋण प्रदान करेंगे ।

(iii) बैंक वित्त-मान का पालन करेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जमानत प्राप्त करेंगे ।

5.8 सांविधिक देय राशियों के चूककर्ताओं को अग्रिम देने पर प्रतिबंध

5.8.1 कानून के अंतर्गत, उधारकर्ता नियोक्ता के दिवालिया हो जाने पर या उसके कारोबार बंद कर दिए जाने पर भविष्य निधि के प्रति कर्मचारियों/सदस्यों के वेतन से छः माह से अधिक अवधि के लिए काटा गया अभिदान यदि आयुक्त को नहीं भेजा जाता है तो उधारकर्ता की आस्तियों पर वह प्रथम प्रभार होगा । उन परिस्थितियों में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को ऐसी सांविधिक देय राशियों की तुलना में अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए ।

5.8.2 अतः बैंकों को उधारकर्ताओं से इस बात का घोषणापत्र लेकर आश्वस्त हो लेना चाहिए कि उधारकर्ता की ओर से भविष्य निधि और अन्य सांविधिक देय राशियां बकाया नहीं हैं और ऐसी सभी देय राशियां अदा कर दी गई हैं । उन्हीं हालातों में प्रमाण की मांग की जानी चाहिए जब बैंक के पास उधारकर्ता के घोषणापत्र पर संदेह करने का कोई ठोस कारण हो । प्रमाण आवश्यक होने पर भी उधारकर्ता के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस आशय का प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत किया जाना जरुरी नहीं है । देय राशियों के भुगतान के समर्थन में रसीद का प्रस्तुत किया जाना या उधारकर्ता के लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र या उसी प्रकार का कोई प्रमाण पर्याप्त होगा । बीमार इकाइयों के मामलों में जहां बकाया उधारकर्ताओं के नियंत्रण से बाहर कारणों की वज़ह से है वहां बैंक ऐसे मामले के गुण-दोषों के आधार पर विचार कर सकते हैं ।

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा संबंधी मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध परिभाषाएं (पैरा 2.2.1 देखें)

टियर I पूँजी/कोर पूँजी

टियर I पूँजी के अंतर्गत निम्नलिखित मदें शामिल होंगी:

- (i) बैंक के मताधिकारधारी नियमित सदस्यों से जमा की गई चुकता शेयर पूँजी।
- (ii) लेखापरीक्षित लेखाओं के अनुसार मुक्त आरक्षित निधियां। आरक्षित निधियां, यदि कोई हों, जिन्हें निर्धारित आस्तियों के पुनर्मूल्यन से सृजित किया गया हो अथवा वे आरक्षित निधियां जिन्हें बाह्य देयताओं को पूरा करने के लिए सृजित किया गया हो, टियर I पूँजी में शामिल नहीं की जानी चाहिए। मुक्त आरक्षित निधियों में उन सभी आरक्षित निधियों / प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें पूर्वानुमानित ऋण हानियों, धोखाधड़ी आदि के कारण हानियों, निवेशों तथा अन्य आस्तियों में मूल्य-हास और बाह्य देयताओं को पूरा करने के लिए सृजित किया गया है। "भवन निधि" शीर्ष के अंतर्गत धारित राशियां मुक्त आरक्षित निधियों के हिस्से के रूप में मानी जाने की पात्र होंगी जब कि "अशोध्य एवं संदिग्ध आरक्षित निधियों" को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- (iii) आस्तियों की बिक्री से हुई प्राप्तियों के कारण हुए अधिशेष को दर्शाने वाली पूँजी आरक्षित निधियां।
- (iv) लाभ और हानि लेखा में किसी प्रकार का अधिशेष अर्थात् देय लाभांश, शिक्षा निधि, अन्य निधियों, जिसका उपयोग परिभाषित हो, आस्तियों की हानि, यदि कोई, आदि के विनियोग के बाद शेष।

टिप्पणी: अमूर्त आस्तियों की राशि, चालू वर्ष में तथा पिछले वर्षों में हुई हानियों, एनपीए प्रावधानों मेंघाटे, अनर्जक आस्तियों पर गलती से निर्धारित आय, गारंटी के अनुसार बैंक से अंतरित देयता के लिए प्रावधान आदि को टियर I पूँजी से घटा दिया जाएगा।

टियर II पूँजी

अप्रकटित आरक्षित निधियां

5.9 इनमें और इक्विटी तथा प्रकटित आरक्षित निधियों में प्रायः समान विशेषताएं होती हैं। इनमें अप्रत्याशित हानियों को समाहित कर लेने की क्षमता होती है तथा उन्हें पूँजी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है बशर्ते वे संचित लाभ दर्शाती हों न कि किसी ज्ञात देयता से भारग्रस्त हों और उनका प्रयोग रोजमरा की सामान्य हानियों या परिचालनगत हानियों को समाहित करने में नहीं किया जाना चाहिए।

पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां

5.10 ये आरक्षित निधियां अक्सर आकस्मिक हानियों से बचाव का काम करती हैं लेकिन उनकी नियति थोड़े अस्थाई प्रकार की होती है और उन्हें "कोर पूँजी" नहीं माना जा सकता। पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियां उन आस्तियों के पूनर्मूल्यन से सृजित होतीं हैं जिन्हें बैंक की बहियों में कमतर मूल्यांकित किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बैंक के परिसर तथा विपणनीय प्रतिभूतियां हैं। आकस्मिक हानियों से बचाव के रूप में किस सीमा तक पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों पर निर्भर रहा जा सकता है यह मुख्यतः इस निश्चितता के उस स्तर पर निर्भर करता है जो संबंधित आस्तियों के बाजार मूल्य के प्रक्कलनों, बाजार की कठिन स्थितियों या बाध्यकारी बिक्री की हालत में मूल्यों में गिरावट, उन मूल्यों के वास्तविक परिसमापन की संभावना, पूनर्मूल्यन के कर संबंधी प्रभावों आदि से जुड़ा है। इसलिए टियर II पूँजी में शामिल करने के लिए पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों के मूल्य का निर्धारण करते समय 55% की भुनाई दर से उनपर विचार करना विवेकपूर्ण होगा अर्थात् पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों का केवल 45% टियर II पूँजी में शामिल करना चाहिए। इन आरक्षित निधियों को तुलनपत्र में पूनर्मूल्यन आरक्षित निधियों के रूप में साफ-साफ दिखाई देना चाहिए।

सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधियां

5.11 इनमें बैंक की बहियों में प्रदर्शित होने वाले साधारण प्रकार के ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पहचान की गई संभावित हानियों या किसी आस्ति के मूल्य में हास या किसी ज्ञात देयता के लिए नहीं रखी गई हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि सामान्य प्रावधान कि किसी राशि को टियर II पूँजी का हिस्सा मानने से पहले सभी ज्ञात हानियों तथा पूर्वकल्पनीय संभावित हानियों को पूरा करने के लिए उपर्युक्तानुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। उदाहरणार्थः अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान, मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान आदि को इस श्रेणी में

शामिल करने पर विचार किया जा सकता है। जिन प्रावधानों को टियर II पूँजी में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है उन्हें कुल भारित जोखिम आस्तियों के 1.25% तक होना चाहिए।

निवेश उत्तर-चढ़ाव आरक्षित निधियां

5.12 बैंक की निवेश उत्तर-चढ़ाव आरक्षित निधि में शेष, यदि कोई।

संकर ऋण पूँजी लिखत

5.13 इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे अनेक पूँजी लिखत हैं जिनमें कुछ विशेषताएं इक्विटी की और कुछ विशेषताएं ऋण की होती हैं। प्रत्येक लिखत की एक खासियत होती है जिसके आधार पर पूँजी के रूप में उसके गुण का निर्धारण किया जा सकता है। जब ये लिखत बिना परिसमापन शुरूआत किए सतत आधार पर हानियों को पूरा करने में समर्थ हों, और जब इक्विटी के साथ उनकी पूरी तरह समानताएं हों तो उन्हें टियर II पूँजी में शामिल किया जा सकता है।

अधीनस्थ ऋण

5.14 टियर II पूँजी में शामिल होने की पात्रता के लिए लिखत को पूरी तरह चुकता, गैर-जमानती, अन्य ऋणकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ, प्रतिबंधात्मक अनुच्छेदों से मुक्त तथा धारक की पहल पर एवं बैंक के पर्यवेक्षी प्राधिकार की सहमति के बिना शोध्य नहीं होना चाहिए। इनकी प्रायः एक निश्चित परिपक्वता अवधि होती है और जैसे ही उनकी परिपक्वता अवधि पूरी होने वाली हो तो टियर II पूँजी में शामिल होने के लिए उनकी क्रमिक भुनाई की जानी चाहिए। उन लिखतों को टियर II पूँजी में नहीं शामिल किया जाना चाहिए जिनकी प्रारंभिक परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम या जिनकी परिपक्वता अवधि पूरी होने में एक वर्ष बाकी हो। अधीनस्थ ऋण लिखत टियर I पूँजी के 50 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

टिप्पणी: (क) वर्तमान में शहरी सहकारी बैंक उपर्युक्त (v) तथा (vi) उल्लिखित प्रकार के लिखत नहीं जारी करते हैं। तथापि, संबंधित राज्य सहकारी सोसायटियां अधिनियम / बहु-राज्यीय सहकारी सोसायटियां अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत इस प्रकार के लिखत जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस प्रकार के लिखत जारी करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन अनिवार्य होगा।

5.15 यह नोट किया जाए कि मानदंडों के अनुपालन के प्रयोजन से टियर II के कुल घटक टियर I के कुल घटकों के अधिकतम 100 प्रतिशत तक सीमित होंगे।

अनुबंध 2

मास्टर परिपत्र
ऋण सीमा संबंधी मानदंड और
सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

प्रोफार्मा - I

बैंक के निदेशकों (रिश्तेदारों सहित) को मंजूर किए गए

ऋण और अग्रिमों से संबंधित जानकारी
(देखें पैरा 5.1.2) बैंक का नाम :

किस तारीख को स्थिति :

मंजूर सीमा (लाख रुपये)								
क्र.सं.	उधारकर्ता का नाम	मंजूरी/नवी-करण की तारीख	सुविधा का प्रकार		जमानती	गैर-जमानती	जमानत का स्वरूप और मूल्य	देय/परिपक्वता की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

बकाया राशि (लाख रुपये)

जमानती	गैर - जमानती	कुल (निधिक सीमा का 100% एवं गैर-निधिक सीमा का 50%)	क्या भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित ऋण मानदंडों/सीमाओं से अधिक है	अतिदेय/एनपीए होने पर की गई कार्रवाई
10	11	12	13	14

नोट : उधारकर्ता को मंजूर की गई विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को स्तंभ 4 और 5 में अलग से दर्शाया जाए।

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा संबंधी मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

प्रोफार्मा - II [देखें पैरा 5.1.2]

बैंक का नाम :

किस तारीख को स्थिति :

(लाख रुपये)

विवरण	राशि
1. कुल मांग और मीयादी देयताएं (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 18 में यथापरिभाषित)	
2. कुल चुकता शेयर पूँजी व आरक्षित निधियां	
3. कुल "पूँजीगत निधियां" (टियर I एवं टियर II)	
4. मद (2) का 75%	
5. मद 1 और 4 का जोड़	
6. (i) मद 3 का 20% (ii) मद 3 का 50%	
7. (i) खरीदे/भुनाए गए निर्बाध बिलों और खरीदे गये चेकों सहित गैर जमानती अग्रिम (ii) मद 5 में मद 7 (i) का प्रतिशत (iii) निदेशकों (रिश्तेदारों सहित) उन संस्थाओं जिनमें उनका हित निहित है उनके नाम खरीदे/बकाया बिलों सहित कुल ऋण / अग्रिम (क) जमानती (ख) गैर-जमानती (ग) सभी निदेशकों (रिश्तेदारों सहित) को दी गई कुल गैर-निधिक सुविधाओं का 100%	
8. मद 5 में मद 7 (iii) (क) और (ख) और (ग) का कुल प्रतिशत	

नोट : आंकड़ों को दो दशमलव बिंदुओं में पूर्णांकित किया जाए ।

अनुबंध 4

मास्टर परिपत्र

ऋण सीमा संबंधी मानदंड और ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

_____ को समाप्त तिमाही के लिए व्यक्तियों/शेयर ब्रोकरों
और अन्य संस्थाओं को शेयरों/डिबेंचरों आदि की जमानत पर दिए गए
अग्रिमों का व्योरा दर्शानेवाला विवरण

(देखें पैरा 5.5.6)

बैंक का नाम : _____

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	सीमा का स्वरूप एवं मंजूर की गई राशि	रिपोर्टिंग तिमाही की समाप्तिपर बकाया शेष (लाख रुपये)	जमानत के रूप में रखे शेयरों/डिबेंचरों का बाजार मूल्य (लाख रुपये)	अग्रिम चुकौती की नियत तारीख	19 अप्रैल 2001 के परिपत्र में निहित रिजर्व बैंक के अनुदेशों के पालन के लिए की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मास्टर परिपत्र
ऋण सीमा संबंधी मानदंड और
ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंध

क (i) मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

०.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय
1.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.31/13.05.00 0/2006-07	12.03.2007	निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें उनका हित निहित है
2.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.29/13.05.00 0/2005-06	30.01.2006	अग्रिमों की अधिकतक सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा
3.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.22/13.05.00 0/2005-06	05.12.2005	अग्रिमों की अधिकतक सीमा - एकल पक्षकार/संबद्ध समूह को गैर-जमानती अग्रिमों की सीमा
4.	शबैवि.पीसीबी.परि.सं.14/13.05.00 0/2005-06	06.10.2005	निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें उनका हित निहित है
5.	शबैवि.डीएस.परि.सं.44/13.05.000 /2005-06	15.04.2005	अग्रिमों की अधिकतक सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा
6.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.45/16.20.00/ 2003-04	15.04.2004	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा गैर-एसएलआर ऋण प्रतिभूतियों में निवेश
7.	शबैवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.34/13.05.00/ 2003-04	11.02.2004	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूहों के लिए ऋण सीमा - पूंजीगत निधियों का अभिकलन
8.	शबैवि.बीपीडी.डीएस.(पीसीबी) परि.सं.29/ 13.05.00/ 2003-04	05.01.2004	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और डिबेचरों की जमानत पर वित्त प्रदान करना
9.	शबैवि.बीपीडी.परि.सं.50/13.05.00 / 2002-03	29.04.2003	निदेशकों, रिश्तेदारों और उन फर्मों/ संस्थाओं को ऋण व अग्रिम देना जिनमें उनका हित निहित है
10	शबैवि.डीएस.पीसीबी.परि.सं.37/13. 05.00/2001-02	01.04.2002	व्यक्ति/उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा
11	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.41/13. 05.00/2000-01	19.04.2001	शेयरों/डिबेचरों की जमानत पर बैंक वित्त
12	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.35/13. 05.00/1999-2000	13.03.2001	अग्रिमों की अधिकतक सीमा - वेतन भोगी बैंकों द्वारा गैर-जमानती अग्रिम देना - सीमा में संशोधन
13	शबैवि.सं.पीसीबी.परि.25/13.05.00 / 2000-2001	08.01.2001	अग्रिमों की अधिकतक सीमा - व्यक्ति/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा - पूंजीगत निधियों का अभिकलन
14	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.24/13.05. 00/2000- 2001	16.01.2001	हीरे निर्यातकों को ऋण प्रदान करना - संघर्ष प्रवण हीरों के आयात पर रोक
15	शबैवि.सं.डीएस.4/13.05.00/2000 -01	25.08.2000	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - व्यक्ति/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा - पूंजीगत निधियों का अभिकलन
16	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.1/13.05.0 0/ 2000-2001	28.07.2000	हीरे निर्यातकों को ऋण प्रदान करना - संघर्ष प्रवण हीरों के आयात पर रोक
17	शबैवि.सं.डीएस.परि.31/13.05.00/ 1999-2000	01.04.2000	अग्रिम की अधिकतम सीमा - ऋण सीमा
18	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.41/13. 05.00/1997-98	12.02.1998	निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को दिए गए अग्रिम

19	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.38/13. 05.00/1996- 97	04.02.1997	व्यक्ति/उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा - मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम
20	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.33/09.09.0 1/96-97	13.12.1996	प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा कृषि कार्यकलापों के लिए वित्तपोषण
21	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.27/13. 05.00/96-97	11.11.1996	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - एकल पार्टी/सम्बद्ध ग्रुप के लिए गैर-जमानती अग्रिम की सीमा
22	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.16/13. 05.00/96-97	11.11.1996	अग्रिमों की अधिकतम सीमा
23	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.25/13. 05.00/96-97	30.10.1996	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को प्रदत्त अग्रिम
24	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.20/09.63.0 096-97	16.10.1996	नाम मात्र सदस्यता के लिए नीति और प्रथा
25	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.65/13. 05.00/95-96	31.05.1996	अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) की जमानत पर अग्रिम
26	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.63/13. 05.00/95-96	24.05.1996	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देना
27	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.53/13. 05.00/95-96	22.03.1996	अग्रिम की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा
28	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.39/13. 05.00/95-96	16.01.1996	अग्रिम की अधिकतम सीमा - व्यक्तियों/ उधारकर्ता समूह के लिए ऋण सीमा
29	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.18/13. 05.00/95-96	16.01.1996	अग्रिमों की अधिकतम सीमा
30	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि.60/13. 05.00/95-96	30.05.1995	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का ऋण देना
31	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी) परि.58/13.05.00/94-95	17.05.1995	पूरक ऋण/अंतरित वित्तपोषण
32	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.निदे.16/13. 05.00/94-95	29.04.1995	अग्रिमों की अधिकतम सीमा
33	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी)परि.54/1 3.05.00/94-95		अग्रिमों की अधिकतम सीमा
34	शबैवि.सं.डीएस.परि.25/13.05.00/ 94-95	21.10.1994	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ऋण देना
35	शबैवि.सं.आई एण्ड एल.आरसीएस.1/ 12.05.00/94- 95	15.07.1994	प्राथमिक सहकारी बैंकों के व्यवसायके साथ स्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता जैसे व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम देना
36	शबैवि.सं.डीएस. परि.पीसीबी. 4/13.05.00/94-95	12.07.1994	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - निदेशकों और उनके रिश्तेदारों तथा उन संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना जिनमें निदेशकों और उनके रिश्तेदारोंका हित निहित है
37	शबैवि.सं.(पीसीबी) निदे.5/ 13.05.00/93-94	26.05.1994	अग्रिमों की अधिकतम सीमा
38	शबैवि.सं.डीएस.(पीसीबी).परि.76/1 3.05.00/93-94	26.05.1994	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - निदेशकों और उनके रिश्तेदारों तथा उन संस्थाओं को ऋण और अग्रिम देना जिनमें निदेशकों और उनके रिश्तेदारोंका हित निहित है
39	शबैवि.सं.40/09.63.00/93-94	16.12.1993	नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा
40	शबैवि.सं.(पीसीबी).29/डीसी (आर.1)92-93	26.12.1992	पूरक ऋण/अंतरित वित्तपोषण
41	शबैवि.सं.प्लान 8/यूबी.8/91-92	05.12.1992	नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा

42	शबैवि.सं.(पीसीबी) 55/डीसी (आर.1)90-91	25.02.1991	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वसूली के लिए भेजे गए चेकों की जमानत पर अग्रिम
43	शबैवि.सं.पीसीबी.2/डीसी (आर.1) -91	20.07.1990	लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों का वित्तपोषण
44	शबैवि.सं.डीसी.99/आर.1/87-88	08.02.1988	अग्रिमों की अधिकतम सीमा - वेतनभोगी उधारकर्ताओं की अग्रिम
45	शबैवि.सं.पी. 100/87-88	25.06.1987	नाममात्र सदस्यता के संबंध में नीति और प्रथा
46	एसीडी प्लान (आईएफएस) 1295/पीआर.36/ 78-79	17.10.1978	भविष्य निर्वाह निधी जैसी सांविधिक देय राशियों का भुगतान करने में चूक करने वाले उधारकर्ताओं को प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं

B. अन्य परिपत्रों की सूची जिनमें से ऋण सीमा संबंधी मानदंडों एवं ऋणों व अग्रिमों पर सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों से संबंधित अनुदेशों को भी इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है

सं.	परिपत्र सं.	तारीख	विषय	परिपत्र का पैरा सं.	मास्टर परिपत्र का पैरा सं.
1.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.7/1 3.04.00/2000-2001	10.10.2000	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय - वर्ष 2000-2001 के लिए मध्यावधि समीक्षा	3	4.11.4 (i)
2.	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.2/ 13.05.00/2000-2001	25.08.2000	बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई	3	4.6.4 (i)
3.	शबैवि.सं.प्लान.एसपीसीबी.0 1/09.09.01/2000-2001	01.07.2000	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - कृषि के लिए आगे उधार देने के लिए एनबीएफसी को उधार देना	2	4.6.4 (iii)
4.	शबैवि.सं.डीएस.एसयूबी.3/ 13.05.00/1999-2000	21.09.1999	बैंकों द्वारा बिलों की पुनर्भुनाई	2,3	4.6.4. (1)
5.	शबैवि.प्लान.सं.एसपीसीबी.0 1/09.09.01/99-2000	27.11.1999	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार - खाद्य और कृषि आधारित प्रक्रिया, वानिकी और अति लघु उद्यमों के लिए ऋण प्रवाह	1	4.6.4.(iv)
6.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 10/13.05.00/98-99	27.11.1998	शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम	अनुबंध पैरा 2(1)	4.5.1
7.	शबैवि.प्लान.जीआर.एसयूबी .5/09.09.01/98-99	18.11.1998	ट्रकों के वित्तपोषण की जमानत पर एनबीएफसी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए बैंक ऋण - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकरण	1	4.6.4. (i)
8.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 55/13.05.00/97-98	29.04.1998	शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम	2	4.5.3
9.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 40/13.05.00/96-97	23.04.1997	संघीय व्यवस्था के अंतर्गत उधार देना	1	2.2.2 (v)
10.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 40/13.05.00/96-97	08.04.1996	कार्यशील पूँजी के लिए उधार - तदर्थ सीमा की मंजूरी	1	2.2.2 (i)(ग)
11.	शबैवि.सं.प्लान.पीसीबी.परि. 60/09.78.00/95-96	08.04.1996	उपकरण लीजिंग और किराया खरीद कार्य-कलापों के लिए वित्तपोषण	1,2	2.2.2 (1) (ख) 2.3.2
12.	शबैवि.सं.डीएस.पीसीबी.परि. 35/13.05.00/95-96	05.01.1996	संयुक्त शेयर कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्तीय सहायता	2	4.5.3

			प्रदान करना		
13.	शबैवि.सं.प्लान.परि.आरसीए स-9/09.22.01/95-96	01.09.1995	आवास योजनाओं के लिए वित्तपोषण - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक	3	2.3.3
14.	शबैवि.सं.डीसी.7/13.05.00 /95-96	09.08.1995	संयुक्त शेयर कंपनियों के शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर वित्तीय सहायता प्रदान करना	2	4.5.3
15.	शबैवि.सं.(पीसीबी) 50/ 13.05.00/93-94	14.01.1994	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध - स्थावर संपदा ऋण	3	2.3.1
16.	शबैवि.सं.(पीसीबी) 54/डीसी (आर-1) 92-93	07.04.1993	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध	1	4.5.3
17.	शबैवि.सं.(पीसीबी) 38/डीसी (आर-1) 91-92	13.11.1991	कतिपय क्षेत्रों के लिए ऋण पर प्रतिबंध	1(iv)	2.3.1